Polity

राज्यसभा [Council of State]

राज्य सभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Rajya Sabha is the Second or upper house of the Indian Parliament. It Consists of members from the States. These members represent the States and union territories.

Art. 80 ⇒ राज्यसभा

- उच्च सदन (Upper House), निम्न सदन (Lower House) - LS
- स्थायी सदन (Permanent House), अस्थायी सदन Temporary House ⇒ LS
- द्वितीय सदन (IInd House), प्रथम सदन (first House) ⇒ LS
- राज्यों का सदन (House of States) या or राज्य की परिषद् (Council of States)
- House of the people (जनता का सदन) LS
- प्रसिद्ध सदन famous House ⇒ LS

Art-80 - राज्यसभा का गठन (Composition of RS)
↳ सदस्यों से

Maximum Members (अधिकतम सदस्य) ⇒ 250 — 238 (States + U.T's); 12 ⇒ Nominated (मनोनीत) = Art. 80 ⇓ By the president राष्ट्रपति द्वारा

कला ⇒ Art
साहित्य ⇒ Literature
विज्ञान ⇒ Science
समाज सेवा ⇒ Social Service

वर्तमान (Present)

245 members सदस्य — 233 (States + U.T's); 12 ⇒ Nominate (मनोनीत)

28 States

→ 3 ⇒ U.T's ⇒ Delhi, puducherry, J.k

राज्यसभा का गठन (Composition of Rajya Sabha)

अनु॰ 80 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जायेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे वर्तमान में राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।

सदस्यों का निर्वाचन (Election of members)

राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों

द्वारा किया जाता है।

The members of the States and union territories in the Rajya Sabha are elected representatives of the Legislative Assemblies.

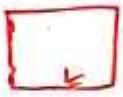
सदस्यों का निर्वाचन [Election of members] ⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

↳ Voters (मतदाता) ⇒ elected MLA's (निर्वाचित विधायक)

कार्यकाल [Tenure] ⟶ राज्यसभा सदस्यों का

संविधान के अनु. 83 (1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। (245) → 1/3 members, every 2 years

According to Article 83 (1) of the Constitution, the Rajya Sabha is a permanent house. It is never dissolved, but one-third of its members retire at the end of every second year. In this way, every member remains a member of the Rajya Sabha for 6 years.



(245) 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण

राज्यसभा का सदस्य (MP) ⇒ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र (Resignation) ⇒ सभापति (Chairman)

⇒ लोक सभा सदस्य त्यागपत्र ⇒ लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of LS)

सभापति और उपसभापति [Chairman & Deputy Chairman]

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं- सभापति (Chair-man) और उपसभापति [Deputy Chairman]

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है,

These are two main officials of Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman. The Vice president of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha

→ Art. 89-92

सभापति [Chairman] = उपराष्ट्रपति

- RS के सदस्य नहीं होते
- इनका निर्वाचन होता है।
- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

सभापति के कार्य [Function of Chairman]

(1) राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

(2) सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है।

(3) असंसदीय भाषा [Unparliamentary Language] के प्रयोग पर सदन में रोक लगाते हैं।

(4) दल-बदल के आधार पर सदस्य पर निर्योग्यता (Disquality) के प्रश्न का निर्धारण करते हैं।

(5) मत बराबर आने पर निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करते हैं।

(6) राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

उपसभापति [Vice-Chairman]

- राज्य सभा के सदस्य होते हैं।
- इन्हें RS के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना (choose) जाता है।
- कार्यकाल -(Tenure] = 6 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ सभापति को देते हैं

⇒ उपसभापति को कैसे हटाया जाता है?

⇓

= जैसे सभापति को हटाया जाता है वैसे ही।

उपसभापति का कार्य → Function of Vice-Chairman

जब सभापति का पद किसी कारण रिक्त (Vaccant) हो या वे अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हों तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

अनु० 89 राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।

Article. 89 The Rajya Sabha elects one of its members as Deputy Chairman for 6 years. When the post of Chairman is vacant, the Deputy Chairman performs the duties of the Chairman in his absence.

उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है। साधारण बहुमत (Simple Majority)

The Deputy Chairman can be removed by passing a resolution by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. The Deputy Chairman can resign his post at any time by writing under his signature addressed to the Chairman.

LS/RS सदस्यों की पद रिक्ति ⇒ Art 101

1. त्यागपत्र के कारण
2. मृत्यु हो जाये / इन्हें पद से हटा दिया जाये।
3. जब इन्हें निर्योग्य (Disqualify) घोषित कर दिया जाये
4. दल-बदल कानून लागू हो जाये।

अनुच्छेद 101 (4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

According to Article 101 (4) a member of either House of parliament ceases to be a member if he is absent from any sitting of the House for a continuous period of more than Sixty days without the permission of the House.

(A) → (MP) / MLA / MLC

संसदीय विशेषाधिकार [Parliamentary Privileges]

अनुच्छेद - 105 संसद सदस्यों को, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात् किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है।

Article 105 members of parliament shall not be arrested in any civil case during a session of parliament or 40 days before or after the session. This exemption is not available in Criminal Cases (40) पहले / बाद → अधिवेशन → MP's LS/RS

किसी संसद सदस्य को, संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

No member of parliament shall be compelled to appear as a witness before any Court during a session of parliament without the permission of the Speaker or the Chairman, as the case may be.

MP